

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा०वा० सरयू वृत्त,
फैजाबाद।

विषय:- लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे० आरक्षित एवं 8.4165 हे० संरक्षित अर्थात् कुल 15.5714 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1744/29-1, दिनांक-17.11.2017
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में विभिन्न वन प्रभागों में ऑन-लाइन एवं हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

लखनऊ वन प्रभाग:-

1. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
2. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
3. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
4. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
5. ऑन लाइन भाग-2, District Profile में जिले का वन क्षेत्र तथा Forest Land including Panel CA का विवरण हार्ड कापी व ऑनलाइन में भिन्न-भिन्न है। अतः एक समान अंकित करें।
6. ऑन लाइन भाग-2, क्रमांक-13(i) Patchwise Detail में फीड किया गया विवरण डिलीट करें, क्योंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना समेकित रूप से अमेठी वन प्रभाग में प्रस्तावित है तथा प्रभागीय निदेशक, सुल्तानपुर विषयगत परियोजना हेतु नोडल अधिकारी नामित होने के कारण उनके द्वारा भरा जाना है।

बाराबंकी वन प्रभाग:-

1. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
2. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
3. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न है किन्तु हरियाली घनत्व त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
4. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
5. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
6. ऑन लाइन भाग-2, District Profile में प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति में विवरण ऑनलाइन व हार्ड कापी में भिन्न-भिन्न अंकित किया गया है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।
7. ऑन लाइन भाग-2, क्रमांक-13(i) Patchwise Detail में फीड किया गया विवरण डिलीट करें, क्योंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना समेकित रूप से अमेठी वन प्रभाग में प्रस्तावित है तथा प्रभागीय निदेशक, सुल्तानपुर विषयगत परियोजना हेतु नोडल अधिकारी नामित होने के कारण उनके द्वारा भरा जाना है।

सुल्तानपुर वन प्रभाग:-

1. वन प्रभाग में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष लीज अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वनभूमि का मूल्य, लीज रेंट व प्रीमियम के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. पृष्ठ संख्या-280 पर संलग्न प्राक्कलन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि अथवा रु० 1368600 लिखा है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः पूर्ण धनराशि अंकित करें।
3. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
4. संरक्षित वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा आरक्षित वनभूमि में बाधक 25483 वृक्षों की वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न नहीं है। अतः सम्पूर्ण सूची सारांश सहित संलग्न करें।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
6. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः हस्ताक्षरयुक्त मूल में संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।

7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का सूक्ष्म रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः 1:50000 माप की पूर्ण रंगीन टोपोग्राफी प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा सत्यापित कराकर संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।
9. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
10. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
11. हार्ड कापी भाग-2, District Profile के क्रमांक 12(iv) में रिक्त अंकित किया गया है, जबकि ऑनलाइन भाग-2 में विवरण अंकित किया गया है, जोकि विरोधाभाष है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।
12. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि की 1:50000 माप की संक्षिप्त टोपोग्राफी संलग्न है, जिस पर सभी स्थल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतः फुल साइज की 1:50000 माप की टोपोग्राफी संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।
13. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
14. प्रस्ताव की दो प्रतियों में पृष्ठ संख्या 282 से 284 पर लगे प्रमाण पत्र अधूरे व अपूर्ण हैं तथा उनका क्रमवार संलग्न भी नहीं है।
15. ऑनलाइन भाग-2 में 25763 वृक्ष अपलोड किये गये हैं जबकि प्रस्ताव में 25762 वृक्षों का उल्लेख है जोकि विरोधाभाष है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।
16. विषयगत परियोजना हेतु आप नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। अतः संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष अमेठी वन प्रभाग में प्रस्तावित समेकित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संबंधी सम्पूर्ण विवरण ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।

आजमगढ़ वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है।
2. वन प्रभाग में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष लीज अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वनभूमि का मूल्य, लीज रेंट व प्रीमियम के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
3. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
4. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न नहीं है तथा ऑनलाइन भाग-2 में केवल 439 वृक्ष ही अपलोड किये गये हैं जबकि परियोजना में 1564 बाधक वृक्षों का उल्लेख है। अतः आजमगढ़ वन प्रभाग में बाधक सभी वृक्षों का प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची तथा सारांश संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।
5. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि की 1:50000 माप की संक्षिप्त टोपोग्राफी संलग्न है। अतः फुल साइज की 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफी संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।
6. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
7. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
8. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न है किन्तु योग में 27.059 अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः पूर्ण धनराशि अंकित करें।
9. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
9. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5, 6 व 7 में त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित किया गया है। अतः क्रमांक-5 में The area is covered under plantation working circle of the working plan, क्रमांक-6 में The area is not vulnerable to soil erosion एवं क्रमांक-7 में शून्य फीड करें।
10. ऑनलाइन भाग-2, Additional Information Details में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र नाम सहित अपलोड नहीं किये गये हैं।
11. हार्ड कापी भाग-2 में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष हरियाली धनत्व अंकित नहीं है।
12. आजमगढ़ वन प्रभाग में उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि की खतौनी व सहमत पत्र संलग्न नहीं है।
13. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष ऑन लाइन भाग-2, क्रमांक-13 में फीड किया गया विवरण डिलीट करें, क्योंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना समेकित रूप से अमेठी वन प्रभाग में प्रस्तावित है तथा प्रभागीय निदेशक, सुल्तानपुर विषयगत परियोजना हेतु नोडल अधिकारी नामित होने के कारण उनके द्वारा भरा जाना है।

मऊ वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

2. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
4. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बड़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
5. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है।
6. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
7. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
8. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 में कोई विवरण अंकित नहीं है। अतः क्रमांक-5 में The area is covered under plantation working circle of the working plan फीड करें।

गाजीपुर वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
2. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
3. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 593 बाधक वृक्षों/पौधों का उल्लेख है जबकि 593 वृक्षों/पौधों के प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम व प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर युक्त सूची संलग्न नहीं किया गया है तथा ऑनलाइन भाग-2 में केवल 121 वृक्ष ही अपलोड किये गये हैं जोकि अपूर्ण हैं। अतः पूर्ण सूची संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।
4. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बड़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
5. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
6. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
10. ऑन लाइन भाग-2 व हार्ड कापी भाग-2 के District Profile में जिले का वन क्षेत्र व अन्य विवरण अंकित नहीं किया गया है।
11. हार्ड कापी भाग-2 के क्रमांक-7 (vi) में वृक्षों की संख्या रिक्त दर्शायी गयी है जोकि त्रुटिपूर्ण है।

प्रयोक्ता अभिकरण:-

1. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि का विवरण ऑनलाइन भाग-1 में अपलोड नहीं किया गया है।
2. सभी वन प्रभागों की प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष भू-स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय
(डा० प्रशांत कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1415 / 11-सी- FP/UP/Roads/28804/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, आजमगढ़ एवं वाराणसी।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ एवं गाजीपुर।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा), उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(डा० प्रशांत कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।